राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(3)ग्रावि/नरेगा/बजट घोषणा/2010/पार्ट–3/76177 जयपुर, दिनांक 22 MAR 2017

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की पालना के संबंध में।
प्रसंग :– विभागीय पत्र दिनांक 21.03.2016, 02.08.2016 एवं 07.09.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्राम रोजगार सहायक को कुशल श्रमिक मानते हुए श्रम विभाग द्वारा जारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुरूप पारिश्रमिक/मानदेय का भुगतान सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे। उक्त निर्देशों के क्रम में निम्नलिखित निर्देश वित्त विभाग की आईडी संख्या 331700013 दिनांक 03.03.2017 के क्रम में जारी किये जाते हैं :-

1. महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्राम रोजगार सहायक को श्रम विभाग द्वारा जारी अधिसूचना की अनुसूची भाग–2 की टिप्पणी 6 (ग) के अनुसार कुशल कामगार जिसने या तो 5 वर्ष कुशल श्रमिक की तरह उक्त पद का कार्य अनुभव या न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अर्जित कर ली है, जो भी पहले हो, व उच्च कुशल कामगार के रूप में मजदूरी पाने का हकदारी होगा। उच्च कुशल श्रमिक के लिए निर्धारित दर रूपये 271/– प्रति दिवस के हिसाब से पारिश्रमिक रूपये 7046/– का भुगतान ग्राम रोजगार सहायक को किया जाना है।
2. श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि किये जाने के माह में ही यदि किसी कार्मिक की वार्षिक वृद्धि देय होती है तो ऐसे कर्मचारी को प्रथमतः अनुबन्ध की शर्त के अनुसार वार्षिक वृद्धि देय की जायेगी। वार्षिक वृद्धि देय किये जाने के पश्चात् भी पारिश्रमिक राशि न्यूनतम मजदूरी राशि से कम रहती है तो उक्त राशि न्यूनतम मजदूरी की राशि तक बढायी जायेगी।

भवदीय

(राजेन्द्र सिंह कैन)
परि0 निदे0 एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–
1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
2. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस